

प्रेषक,

बन्नु राम,
बन्नु सपिन्,
उत्तर-प्रवेश शासन।

सेवा में,

सपिन्,
केंद्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा-केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
प्रीति-विहार, नवीदेस्ती।

विषय (7) अनुदान


संख्यांक: दिनांक: 22 जनवरी, 2007


विषय :- सीपीओ विद्यापीठ धनारी कक्षाओं को सीपीओएचए ईओ नवीदेस्ती से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

संपुस्तक विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का विवेक हुआ है कि उक्त संबंधित विद्यालय से सीपीओएचए ईओ नवीदेस्ती से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखे जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रावधानों से अयोग्यता नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सांसायनी का समय-समय पर नवीनीकरण करना।
- (2) विद्यालय की प्रबंध प्रणालि में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होना।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक बच्चों के लिए सुरक्षित रहने और उनसे 50% प्राथमिक शिक्षा परिषद/प्रीति विद्या परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाना।
- (4) उक्त द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय प्राथमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संचालना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नवीदेस्ती/प्रीति विद्या परिषद स्कूल सपोर्ट केंद्र इकायिनेशन नवीदेस्ती से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की स्थिति में 50% प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्थल समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं विद्यार्थी कर्मचारियों का राष्ट्रीय प्रमाणित प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमान संख्याओं तथा राज्य सरकार से कम वेतनमान तथा लाभ नहीं दिखे जायेगा।


 सहायक विकास अधिकारी
 गुन्डौर (बदायूँ)

परिपुस्तकारित

 शिक्षा संचालक निरीक्षक

2
 PRINT
 D. P. VIT
 2007